अनवान सोहन लाल बनाम लीला देवी व अन्य
वाद मुकदमा नं. 60/2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन् सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – नयन गौतम, आई.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 60/2025

अन्तर्गत धारा 53, 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

सोहनलाल पुत्र स्वर्गीय श्री गणपतराम उम्र 65 वर्ष जाति जाट निवासी गांव मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)

... वादी

बनाम

श्रीमती लीला देवी पत्नी स्व. श्री सादुलाराम जाति जाट निवासी गांव मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर

अनिल कुमार पुत्र स्व. श्री सादुलाराम जाति जाट निवासी गांव मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर

धर्मवीर पुत्र स्व. श्री सादुलाराम जाति जाट निवासी गांव मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर

महावीर प्रसाद पुत्र स्व. श्री देवीलाल जाति जाट निवासी चक 3 पीएचएम पोस्ट ऑफिस 7 पीएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर

विनोद कुमार पुत्र स्व. श्री देवीलाल जाति जाट निवासी चक 3 पीएचएम पोस्ट ऑफिस 7 पीएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर

कैलाश देवी {पुत्री स्व. श्री देवीलाल} पत्नी श्री प्रेमकुमार जाति जाट निवासी 14 बीएलडी–बी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर (राज0)–

रीतूबाला {पुत्री स्व. श्री सरोज पुत्री स्व. श्री देवीलाल} पुत्री श्री कृष्णराम जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 04, नाथवाना (चक 8 एनटीडब्ल्यू) तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

सुरेन्द्र कुमार {पुत्र स्व. श्री सरोज पुत्री स्व. श्री देवीलाल} पुत्र श्री कृष्णराम जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 04, नाथवाना (चक 8 एनटीडब्ल्यू) तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

नरेन्द्र कुमार {पुत्री स्व. श्री सरोज पुत्री स्व. श्री देवीलाल} पुत्री श्री कृष्णराम जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 04, नाथवाना (चक 8 एनटीडब्ल्यू) तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

10. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

......प्रतिवादीगण

उपस्थित–अधिवक्ता श्री ऋषिपाल जोशी
अधिवक्ता श्री शुभम पारीक
अधिवक्ता श्री विजय कुमार भाटी
पैरोकार राज

Signature Not Verified

Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.19 11:24:39 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]

Gautam

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

अनवान सोहन लाल बनाम लीला देवी व अन्य
वाद मुकदमा नं. 60/2025

–:: निर्णय ::–

दिनांक **03.09.2025**

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि चक 4 के पटवार हल्का 4 के तहसील व जेला श्रीगंगानगर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 17/12 के मु0न0 17 के किला नम्बर 11, 20, 21 (प्रत्येक में 0.253है. = 0.759 है. नहरी व मु0न0 18 के किला नम्बर 15, 16 (प्रत्येक में 0.253 है.), 24/2(0.190 है.), 25(0.253 है.) =0.949 है. नहरी कुल 1.7080 है. नहरी कृषि भूमि में से वादी सोहनलाल पुत्र गणपतराम के नाम 7/18 हिस्सा यानि 0.6642 है., एवं लीलादेवी पत्नी सादुलाराम के नाम 1/54 हिस्सा यानि 0.03163 है., अनिल कुमार पुत्र सादुलाराम के नाम 0.03163 है., धर्मवीर पुत्र सादुलाराम के नाम 1/54 हिस्सा यानि 0.03163 है., सादुलाराम पुत्र गणपतराम के नाम 1/3 हिस्सा यानि 0.5693है., महावीर प्रसाद पुत्र देवीलाल के नाम 1/72 हिस्सा यानि 0.02372 है., विनोद कुमार पुत्र देवीलाल के नाम 1/72 हिस्सा यानि 0.02372 है., कैलाश देवी पुत्री देवीलाल के नाम 1/72 हिस्सा यानि 0.02372 है.,रीतूबाला पुत्री कृष्णराम के नाम 1/216 हिस्सा यानि 0.0079 है. सुरेन्द्र कुमार पुत्र कृष्णराम के नाम 1/216 हिस्सा यानि 0.0079 है., नरेन्द्र कुमार पुत्र कृष्णराम के नाम 1/216 हिस्सा यानि 0.0079 है., राजकुमार पुत्र सावित्री देवी के नाम 1/36 हिस्सा यानि 0.04744 है., लिछमा देवी पुत्री लिछमादेवी के नाम 1/36 हिस्सा यानि 0.04744 है., कौशल्यादेवी पुत्री दलीपराम के नाम 1/72 हिस्सा यानि 0.09488 है., परमेश्वरी देवी पुत्री दलीपराम के नाम 1/18 हिस्सा यानि 0.09488 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है। यहां यह भी उल्लेख करने योग्य है कि दलीपराम के स्वर्गवास होने के बाद राजस्व रिकार्ड में अंकित "कौशल्या देवी पुत्री दलीपराम" व "परमेश्वरी देवी पुत्री दलीपराम" का अंकन लिपिकीय त्रुटी से किया गया है जबकि कौशल्यादेवी व परमेश्वरी देवी का दलीपराम की बहने है तथा इनके पिता का नाम गणपतराम है। लिछमा देवी पुत्री लिछमादेवी का अंकन भी लिपिकीय त्रुटी से किया गया है जबकि सही नाम लिछमा देवी पुत्री सावित्री देवी है। राजस्व रिकार्ड में दर्ज उक्त लिपिकीय त्रुटी को दुरूस्त करवाने व कलमजन करवाने का वादी अधिकारी है। चक 4 के तहसील श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 17/12 की जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है। वाद पत्र की मद संख्या 3 में वर्णित चक 4 के तहसील श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 17/12 के मुरब्बा नम्बर 17 व 18 की कुल 1.708 है. नहरी कृषि भूमि वादी के पिताजी गणपतराम के स्वर्गवास होने के बाद उनकी तीनो पुत्रीयो सावित्री देवी, कौशल्यादेवी व परमेश्वरी देवी द्वारा अपना हकत्याग करने पर वादी व इसके भाईयो यानि सोहनलाल, सादुलाराम, देवीलाल व दलीपराम के नाम ब:हिस्सा बराबर बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गई । वादी के भाई दलीपराम जो कि अविवाहित थे जिनके दिनांक 22/04/2008 को स्वर्गवास होने के बाद इनके नाम दर्ज कृषि भूमि के इनके 6 भाई–बहन ब:हिस्सा बराबर के हकदार हुए जिनमें से वादी की बहन स्वर्गीय श्रीमती सावित्री देवी के वारिसो राजकुमार व लिछमादेवी ने अपने समस्त हक व हिस्सा का परित्याग जरिये दस्तावेज दस्तबरदारी दिनांक 18/07/2011 के द्वारा देवीलाल व सादुलाराम के पक्ष में कर दिया तथा कौशल्यादेवी व परमेश्वरी देवी ने अपने समस्त हक व हिस्सा का परित्याग जरिये दस्तावेज दस्तबदारी दिनांक 18/07/2011 के द्वारा सोहनलाल– सादुलाराम के पक्ष में कर दिया, इस प्रकार दलीपराम के नाम दर्ज कृषि भूमि सोहनलाल, देवीलाल व सादुलाराम को प्राप्त हुई लेकिन राजस्व [illegible] उक्त दस्तावेज दस्तबदारी अनुसार वादी व देवीलाल, सादुलाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में [illegible] इसलिए चक 4 के तहसील श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या [illegible] है. नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक से राजकुमार पुत्र सावित्री देवी के नाम दर्ज 1/36 हिस्सा, लिछमा देवी पुत्री लिछमादेवी के नाम दर्ज 1/36 हिस्सा, कौशल्यादेवी पुत्री दलीपराम के नाम [illegible]/72 हिस्सा, परमेश्वरी देवी पुत्री दलीपराम के नाम दर्ज 1/18 हिस्सा राजस्व रिकार्ड से कलमजन करवाने व घरेलू बंटवारा अनुसार प्राप्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.19 11:24:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

हुई भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने का वादी अधिकारी है । मृत्यू प्रमाण पत्र व वारिस प्रमाण पत्र दलीपराम व दस्तावेज दस्तबरदारी दिनांक 18/07/2011 राजकुमार, लिछमादेवी बहक देवीलाल, सादुलाराम तथा दस्तावेज दस्तबरदारी दिनांक 18/07/2011 कौशल्या देवी, परमेश्वरी देवी बहक सोहनलाल, सादुलाराम संलग्न वाद पत्र है। वादी व वादी के भाईयो यानि सोहनलाल, देवीलाल, सादुलाराम ने आपसी सहमति से चक 4 के तहसील श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 17/12 के मुरब्बा नम्बर 17 व 18 की कुल 1.708 है. नहरी कृषि भूमि का बंटवारा किया जिसके अनुसार वादी सोहनलाल पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी गांव मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) को मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 11, 20, 21 (प्रत्येक में 0.253 है.) कुल 0.759 है. नहरी कृषि भूमि प्राप्त हुई तथा सादुलाराम को मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 15, 16 (प्रत्येक में 0.253 है.), 24/2 की 0.038 है. पूर्वी हिस्सा व 25 की 0.253 है. कुल 0.797 है. नहरी कृषि भूमि प्राप्त हुई तथा देवीलाल को मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 24/2 की 0.152 है. {पश्चिमी हिस्सा} नहरी कृषि भूमि प्राप्त हुई। वादी व वादी के भाई इसी घरेलू बंटवारा अनुसार काबिज काश्त हुए । वादी घरेलू बंटवारा अनुसार प्राप्त हुई भूमि को घोषित करवाने व अलग लगान कायम करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने का अधिकारी है। वादी के भाई देवीलाल का दिनांक 25/03/2021 को स्वर्गवास हो चुका है जिनके स्वर्गवास होने बाद इनके नाम दर्ज कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 4 से 9 के नाम से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो चुकी है तथा वादी के भाई सादूलाराम उर्फ सरदूल सिंह के दिनांक 29/10/2022 को स्वर्गवास होने के बाद 0.9489 है. कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की जा चुकी है तथा सादुलाराम पुत्र गणपतराम के नाम 1/3 हिस्सा यानि 0.5693 है., कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज कागजात राज है सादुलाराम के नाम दर्ज भूमि के अनुतोष के लिए प्रतिवादी संख्या 1 से 3 पक्षकार संयोजित है। देवीलाल व सादूलाराम के मृत्यू प्रमाण पत्र व वारिस प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न वाद पत्र है। वादी उक्त विभाजन में आई भूमि वादी के नाम दर्ज ना होने के कारण, वादी को इस पर कोई भी मालिकाना हक एवं राजस्व सम्बन्धी हक व अधिकार हासिल नहीं है। वादी उक्त कृषि भूमि का अपनी इच्छानुसार उपयोग व उपभोग नहीं कर सकता है, ना ही इस पर कृषि ऋण, सहकारी ऋण, मुआवजा आदि की सुविधा ले सकता है तथा उक्त कृषि भूमि के लिए पारिवारिक झगड़ा फसाद होने की सम्भावनाए बनी रहती है इसलिए वादी अपने हिस्से में आई कृषि भूमि को, अपने नाम से दर्ज करवाने का अधिकारी है। वादी ने, प्रतिवादी संख्या 1 से 9 को दिनांक 03/01/2025 को, बंटवारा अनुसार कृषि भूमि को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतू कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 से 9 ने ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये है। यही बिनाय मुखास्मत है। प्रतिवादी संख्या 1 के पति व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पिताजी सादुलाराम के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा कृषि भूमि स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा मिर्जेवाला के पक्ष में रहन दर्ज है लेकिन बैक से लिए गए ऋण की बाबत पक्षकारान में कोई विवाद नहीं है इसलिए बैंक को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है । प्रतिवादी संख्या 10 लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। वाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष वाद कारण से अन्दर मियाद प्रस्तुत किया जा रहा है एवं श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है व 2 रु. के न्याय शुल्क पर पेश है। अतः वाद पत्र पेश करने निवेदन है कि वादी का वाद पत्र, प्रतिवादीगण के खिलाफ स्वीकार किया जाकर दावा निम्न प्रकार सादिर फरमाया जावे :–

(क). कि चक 4 के तहसील श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 17/12 के मुरब्बा नम्बर 17 व 18 की कुल 1.708 है. नहरी कृषि भूमि में दर्ज राजकुमार पुत्र [illegible] हिस्सा, लिछमा देवी पुत्री लिछमादेवी के नाम दर्ज 1/36 हिस्सा, कौशल्यादेवी पुत्री दलीपराम के [illegible] हिस्सा, परमेश्वरी देवी पुत्री दलीपराम के नाम दर्ज 1/18 हिस्सा कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक की [illegible] जावे।

(ख). कि चक 4 के तहसील श्रीगंगानगर के संयुक्त [illegible] नम्बर 17 व 18 की कुल 1.708 है. नहरी कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 11, 20, 21(प्र[illegible] में 0.253 है.) कुल 0.759 है. नहरी कृषि भूमि सोहनलाल पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी गांव मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.19 11:24:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

(राज0) की तथा मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 15, 16 (प्रत्येक में 0.253 है.), 24/2 की 0.038 है. पूर्वी हिस्सा व 25 की 0.253 है. कुल 0.797 है. नहरी कृषि भूमि लीलादेवी पत्नी सादुलाराम, अनिल कुमार, धर्मवीर पिसरान सादुलाराम की ब:हिस्सा बराबर बराबर जाति जाट निवासीयान मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की घोषित की जावे व मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 24/2 की 0.152 है. {पश्चिमी हिस्सा} नहरी कृषि भूमि को महावीर प्रसाद, विनोद कुमार पिसरान देवीलाल की 0.076 है ब:हिस्सा बराबर बराबर, कैलाश देवी पुत्री देवीलाल 0.038 है., रीतूबाला पुत्री सरोज 0.013 है. सुरेन्द्र कुमार, नरेन्द्र कुमार पुत्रगण सरोज 0.025 है जाति जाट निवासीयान मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की घोषित कर उक्त अनुसार अलग अलग लगान कायम किया जावे।

(ग) उक्त घोषणा एवं बंटवारा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अलग अलग लगान कायम कर अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे ।

(घ) वादी को खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।

(ङ) कि अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादी के हित में समझे दिलवाया जावे ।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5 ता 9 द्वारा राजीनामा पेश किया गया। राजीनामा में अंकित तथ्यानुसार उक्त अनवानी शीर्षक दावा में पक्षकारान का पंचायत वा मौतबिरान लोगो ने राजीनामा करवा दिया है तथा पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया है। पक्षकारान का अब कोई मनमुटाव नहीं रहा है। घरेलू बंटवारानुसार चक 4 के तहसील व जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 17/12 के मुरब्बा नम्बर 17 व 18 की कुल 1.708 है. नहरी कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 11, 20, 21 (प्रत्येक में 0.253 है.) कुल 0.759 है. नहरी कृषि भूमि सोहनलाल पुत्र गणपतराम जाति जाट निवासी गांव मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) को तथा मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 15, 16 (प्रत्येक में 0.253 है.), 24/2 की 0.038 है. पूर्वी हिस्सा व 25 की 0.253 है. कुल 0.797 है. नहरी कृषि भूमि लीलादेवी पत्नी सादुलाराम, अनिल कुमार, धर्मवीर पिसरान सादुलाराम की ब:हिस्सा बराबर बराबर जाति जाट निवासीयान मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर को व मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 24/2 की 0.152 है. {पश्चिमी हिस्सा} नहरी कृषि भूमि को महावीर प्रसाद, विनोद कुमार पिसरान देवीलाल की 0.076 है. ब:हिस्सा बराबर बराबर, कैलाश देवी पुत्री देवीलाल 0.038 है., रीतूबाला पुत्री सरोज 0.013 है. सुरेन्द्र कुमार, नरेन्द्र कुमार पुत्रगण सरोज 0.025 है. जाति जाट निवासीयान मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर को दी हुई है जिसमें पक्षकारान पूर्णतः सहमत है। अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर चक 4 के तहसील श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 17/12 के मुरब्बा नम्बर 17 व 18 की कुल 1.708 है. नहरी कृषि भूमि में दर्ज राजकुमार पुत्र सावित्री देवी के नाम दर्ज 1/36 हिस्सा, लिछमा देवी पुत्री लिछमादेवी के नाम दर्ज 1/36 हिस्सा, कौशल्यादेवी पुत्री दलीपराम के नाम 1/72 हिस्सा, परमेश्वरी देवी पुत्री दलीपराम के नाम दर्ज 1/18 हिस्सा कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक को कलमजन करने के आदेश दिये एवं उक्त राजीनामानुसार चक 4 के तहसील व जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 17/12 के मुरब्बा नम्बर 17 व 18 की कुल 1.708 है. नहरी कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 11, 20, 21 (प्रत्येक में 0.253 है.) कुल 0.759 है. नहरी कृषि भूमि सोहनलाल पुत्र गणपतराम जाति जाट निवासी गांव मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) की तथा मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 15, 16 (प्रत्येक में 0.253 है.), 24/2 की 0.038 है. पूर्वी हिस्सा व 25 की 0.253 है. कुल 0.797 है. नहरी कृषि भूमि लीलादेवी पत्नी सादुलाराम, अनिल कुमार, धर्मवीर पिसरान सादुलाराम की ब:हिस्सा बराबर बराबर जाति जाट निवासीयान मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की व मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 24/2 की 0.152 है. {पश्चिमी हिस्सा} नहरी कृषि भूमि को महावीर प्रसाद, विनोद [illegible] देवीलाल की 0.076 है. ब:हिस्सा बराबर बराबर, कैलाश देवी पुत्री देवीलाल 0.038 है., रीतूबाला पुत्री स[illegible] 0.013 है. सुरेन्द्र कुमार, नरेन्द्र कुमार पुत्रगण सरोज 0.025 है. जाति जाट निवासीयान मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की घोषित की जाकर अलग अलग लगान कायम कर डिक्री जारी कर दी जावे व उक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया जावे तो मिकरान उसमें पूर्णतः सहमत है। लिहाजा यह राजीनामा तहरीर करवा दिया है ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत काम आवे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.19 11:24:39 IST
Reason: SelfAttested

Gautam
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के द्वारा इकबालिया जवाब दावा पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार वाद पत्र की मद संख्या 3 के कथन राजस्व रिकार्ड अनुसार दर्ज है जो स्वीकार है। "कौशल्या देवी पुत्री दलीपराम" व "परमेश्वरी देवी पुत्री दलीपराम" का अंकन लिपिकीय त्रुटी से किया गया है जबकि कौशल्या देवी व परमेश्वरी देवी दलीपराम की बहने है तथा इनके पिता का नाम गणपतराम होने के कथन स्वीकार है। लिछमा देवी पुत्री लिछमा देवी का अंकन भी लिपिकीय त्रुटी से किया गया है जबकि सही नाम "लिछमा देवी पुत्री सावित्री देवी" है। घरेलू बंटवारानुसार चक 4 के तहसील व जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 17/12 के मुरब्बा नम्बर 17 व 18 की कुल 1.708 है. नहरी कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 11, 20, 21 (प्रत्येक में 0.253 है.) कुल 0.759 है. नहरी कृषि भूमि सोहनलाल पुत्र गणपतराम जाति जाट निवासी गांव मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) को तथा मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 15, 16 (प्रत्येक में 0.253 है.), 24/2 की 0.038 है. पूर्वी हिस्सा व 25 की 0.253 है. कुल 0.797 है. नहरी कृषि भूमि लीलादेवी पत्नी सादुलाराम, अनिल कुमार, धर्मवीर पिसरान सादुलाराम की ब:हिस्सा बराबर बराबर जाति जाट निवासीयान मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर को व मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 24/2 की 0.152 है. {पश्चिमी हिस्सा} नहरी कृषि भूमि को महावीर प्रसाद, विनोद कुमार पिसरान देवीलाल की 0.076 है. ब:हिस्सा बराबर बराबर, कैलाश देवी पुत्री देवीलाल 0.038 है., रीतूबाला पुत्री सरोज 0.013 है. सुरेन्द्र कुमार, नरेन्द्र कुमार पुत्रगण सरोज 0.025 है. जाति जाट निवासीयान मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर को दी हुई है तथा उकत अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने में हम उतरदातागण व अन्य पक्षकारान पूर्णतः सहमत है। वाद पत्र की मद संख्या 7 के कथन स्वीकार है तथा यह भी निवेदन है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा हो चुका है तथा वादी व प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा अनुसार विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे। वाद पत्र की मद संख्या 8 के कथन वाद कारण से सम्बन्धित है। वाद पत्र की मद संख्या 9 व 10 के कथन कानून है। लिहाजा जवाब वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर चक 4 के तहसील श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 17/12 के मुरब्बा नम्बर 17 व 18 की कुल 1.708 है. नहरी कृषि भूमि में दर्ज राजकुमार पुत्र सावित्री देवी के नाम दर्ज 1/36 हिस्सा लिछमा देवी पुत्री लिछमादेवी के नाम दर्ज 1/36 हिस्सा, कौशल्यादेवी पुत्री दलीपराम के नाम 1/72 हिस्सा, परमेश्वरी देवी पुत्री दलीपराम के नाम दर्ज 1/18 हिस्सा कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक को कलमजन करने के आदेश दिये जावे एवं चक 4 के तहसील श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 17/12 के मुरब्बा नम्बर 17 व 18 की कुल 1.708 है. नहरी कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 11, 20, 21 (प्रत्येक में 0.253 है.) कुल 0.759 है. नहरी कृषि भूमि सोहनलाल पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी गांव मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) की तथा मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 15, 16 (प्रत्येक में 0.253 है.), 24/2 की 0.038 है. पूर्वी हिस्सा व 25 की 0.253 है. कुल 0.797 है. नहरी कृषि भूमि लीलादेवी पत्नी सादुलाराम, अनिल कुमार, धर्मवीर पिसरान सादुलाराम की ब:हिस्सा बराबर बराबर जाति जाट निवासीयान मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की घोषित की जावे व मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 24/2 की 0.152 है. {पश्चिमी हिस्सा} नहरी कृषि भूमि को महावीर प्रसाद, विनोद कुमार पिसरान देवीलाल की 0.076 है. ब:हिस्सा बराबर बराबर, कैलाश देवी पुत्री देवीलाल 0.038 है., रीतूबाला पुत्री सरोज 0.013 है. सुरेन्द्र कुमार, नरेन्द्र कुमार पुत्रगण सरोज 0.025 है. जाति जाट निवासीयान मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की घोषित कर उक्त अनुसार अलग अलग लगान कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर की ओर से स्टेट जवाब पेश हुआ।

वादी एवं प्रतिवादी के मध्य राजनामा होने एवं किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होने के कारण विवाद्यक कायम नहीं किये गये।

साक्ष्य वादी में सोहन लाल पुत्र स्वर्गीय श्री गणपतराम उम्र 65 वर्ष जाति जाट निवासी गांव मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर का शपथ पत्र ... जमाबंदी सम्वत् 2072–2075 चक 4 के, पटवार हल्का 4 के, भू.अ.नि. मिर्जेवाला खाता संख्या 17 ... पंजीकृत दस्तावेज दस्तबरदारी दिनांक 18.07.2011की प्रति प्रदर्श–2ए, पंजीकृत दस्तावेज दस्तबरदारी ... प्रति प्रदर्श–3ए, फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र देवीलाल पुत्र ... प्रमाण पत्र सादुलाराम उर्फ सरदुल सिंह पुत्र गणपत राम प्रदर्श–5, फोटो प्रति पारिवारिक सदस्य प्रमाण ... सादुलाराम उर्म सरदुल सिंह प्रदर्श–6,

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.19 11:24:39 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी (राज
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

फोटो प्रति वारिस प्रमाण पत्र गणपतराम पुत्र गणेशाराम प्रदर्श–7, फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र दलीप राम पुत्र गणपत राम प्रदर्श–8, फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र सरोज पुत्री कमला देवी पुत्री गणपत राम प्रदर्श–9, फोटो प्रति सावित्री देवी पुत्री गणपत राम प्रदर्श–10, फोटो प्रति वारिस प्रमाण पत्र मृतक सावित्री देवी प्रदर्श–11, प्रदर्शित करवाये गये। वादी सोहन लाल द्वारा शपथ पत्र तादादी 50/– रूपये इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वाद में वर्णित कृषि भूमि की बावत भारत वर्ष के किसी भी न्यायालय में कोई वाद या कार्यवाही विचाराधीन नहीं है और न ही किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश जारी किया गया है। उक्त वाद में वर्णित कृषि भूमि के ऋण भार की बावत पक्षकारान में कोई विवाद नहीं है, यदि ऋण भार की बावत कोई जवाब देही होती है तो उसके लिए मिकर स्वयं उत्तरदायी रहेगा।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत् 2072–2075 चक 4 के, पटवार हल्का 4 के, भू.अ.नि. मिर्जेवाला खाता संख्या 17/12 प्रदर्श–1, पंजीकृत दस्तावेज दस्तबरदारी दिनांक 18.07.2011की प्रति प्रदर्श–2ए, पंजीकृत दस्तावेज दस्तबरदारी दिनांक 18.07.2011 की प्रति प्रदर्श–3ए, फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र देवीलाल पुत्र गणपत राम प्रदर्श–4, फोटो प्रति प्रमाण पत्र सादुलाराम उर्फ सरदुल सिंह पुत्र गणपत राम प्रदर्श–5, फोटो प्रति पारिवारिक सदस्य प्रमाण पत्र सादुलाराम उर्म सरदुल सिंह प्रदर्श–6, फोटो प्रति वारिस प्रमाण पत्र गणपतराम पुत्र गणेशाराम प्रदर्श–7, फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र दलीप राम पुत्र गणपत राम प्रदर्श–8, फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र सरोज पुत्री कमला देवी पुत्री गणपत राम प्रदर्श–9, फोटो प्रति सावित्री देवी पुत्री गणपत राम प्रदर्श–10, फोटो प्रति वारिस प्रमाण पत्र मृतक सावित्री देवी प्रदर्श–11, प्रदर्शित करवाये गये। वादी सोहन लाल द्वारा शपथ पत्र तादादी 50/– रूपये एवम् वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवाद नहीं है। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य पारिवारिक सहमति हो चुकी है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तवेजात, जमाबन्दी साक्ष्य, एवम् प्रस्तुत साक्ष्यों के अवलोकन से न्यायालय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य पाता है।

|| आदेश ||

अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा एवं आपसी सहमति के आधार पर प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश कमांक–रा.म./न्याय/स्था./प–51/2008/विविध/10546 दिनांक 05.10.2020 के प्रावधानों एवं राजस्थान काश्तकारी(राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत् 2072–2075 तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 4 के, पटवार हल्का 4 के, भू.अ.नि. मिर्जेवाला खाता संख्या 17/12 में वर्णित कृषि भूमि का वादी एवम् प्रतिवादीगण की भूमि का जमाबंदी में दर्ज हिस्सा एवं कब्जा अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर आगामी तारीख पेशी 25.09.2025 से पूर्व पेश करे। वाद व्यय पक्षकरान अपना अपना वहन करेंगे। यथा प्राथमिक डिकी जारी हो। निर्णय की एक प्रति तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर को नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित हो।

प्राथमिक निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 03.09.2025 को जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.19 11:24:39 IST
Reason: SelfAttested

(नयन गौतम) आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner